न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 108/2017

प्रार्थी
रुपाराम चौधरी पुत्र श्री दलाराम, जाति–चौधरी, निवासी–अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
(1) ग्राम पंचायत, अनादरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही
(2) रोशन खां पुत्र श्री ईस्माईल खां, जाति– मुसलमान, निवासी– अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"
उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 22 अप्रेल, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा अप्रार्थी रोशन खां पुत्र ईस्माईल खां, जाति– मुसलमान, निवासी– अनादरा के पक्ष में क्षेत्रफल 1295 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 16.6.2008 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री फिरोज सिलावट उपस्थित हुये एवं उसके बाद अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवडा उपस्थित। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने पर सुनवाई तिथि 11.10.2017 को ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, अनादरा उपस्थित हुये, उसके बाद अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, अनादरा के पत्र क्रमांकःग्रा. पं.अ./98/2020 दिनांक 08.12.2020 के संलग्न उक्त पट्टा संख्या 31 दिनांक 16.6.2008 से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त हुई।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गांव अनादरा, तहसील रेवदर में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान् के संयुक्त खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 630, 671 से 673, 675 से 684, 692 कुल कित्ता 15 रकबा 49 बीघा 12 बिस्वा है। प्रार्थी के खातेदारी की उक्त आराजी के लगते हुए ग्राम पंचायत अनादरा की आबादी भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या– 2 ने प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का मकान का निर्माण कार्य करवाया, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा ग्राम सभा व ग्राम पंचायत में की गई। ग्राम पंचायत व ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा प्रार्थी के खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान किया, जिसमें प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में अप्रार्थी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
सिरोही

संख्या–2 का अतिक्रमण पाया गया। प्रार्थी के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या– 2 का अतिक्रमण हटाने हेतु पिछले काफी समय से प्रयासरत है लेकिन अप्रार्थी संख्या– 2 ने अपने प्रभाव से प्रार्थी की अतिक्रमित खातेदारी भूमि से कब्जा नहीं हटाया। यह कि ग्राम पंचायत, अनादरा के तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी संख्या–2 के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा किए गए अतिक्रमण की जानकारी होते हुए भी प्रार्थी के खातेदारी की भूमि का अप्रार्थी संख्या–2 के हक में गलत व विधि विरुद्ध एवं आपराधिक कृत्य करते हुए नक्शें में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि को अप्रार्थी संख्या–2 के कब्जा शुदा भूमि बताकर उक्त पट्टा जारी किया गया। यह कि ग्राम सभा, ग्रामदानी ग्राम, अनादरा के सचिव द्वारा रुबरु मौतबिरान के दिनांक 04.12.2009 को प्रार्थी के खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया गया था, जिसकी मौका फर्द दिनांक 04.12.2009 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया हुआ है कि रोशन खां पुत्र ईस्माइल घोसी का विवादित मकान एवं अतिक्रमित भूमि रास्ते से पश्चिम दिशा में एवं रास्ते की भूमि भी खातेदारी के अन्दर आती है, जिसके खसरा संख्या 673 है एवं रोशन खां पुत्र ईस्माइल खां का मकान खसरा संख्या 671 के अन्दर बना हुआ है, रोशन खां की विवादित भूमि एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा खसरा संख्या 671 की भूमि में है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त मौका फर्द दिनांक 04.12.2009 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा अप्रार्थी रोशन खां के पक्ष में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पट्टा जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को प्रार्थी के खातेदारी की भूमि का अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने के अधिकार संबंधित कानून में प्रदत्त है, लेकिन ग्राम पंचायत, अनादरा के तत्कालीन पदाधिकारियों ने अप्रार्थी संख्या–2 को अनुचित लाभ पॅहुचाने की नियत से प्रार्थी के पीठ पीछे व प्रार्थी की जानकारी के बिना ही प्रार्थी के खातेदारी भूमि में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के उक्त गलत व विधि विरूद्ध कृत्य के लिए एक फौजदारी मुकदमा किया था, जिसमें पुलिस थाना अनादरा के अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान कर ग्राम पंचायत, अनादरा के सरपंच, सचिव तथा अप्रार्थी संख्या–2 को आपराधिक कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।. यह कि अप्रार्थी संख्या– 2 के हक में ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 205 /– अक्षरे दो सौ पाँच रूपये में पट्टा जारी किया गया है, जो किस नियम के तहत जारी किया गया है, वह पट्टे में दर्शित नहीं किया गया है। यह कि पट्टा जारी करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया गया है तथा न ही किसी स्वतंत्र गवाहन के बयान लिए गए है। ग्राम पंचायत, अनादरा ने विधि की अवज्ञा करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (रोशन खां) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 16.6.2008 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या– 2 (रोशन खां) के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या–2 का नियमानुसार पट्टा बना हुआ है। ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पुराने भोगवटे व कब्जे के आधार पर पंचायत की आबादी भूमि में पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार मिसल दायर कर विधिवत संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण रुप से पालना करते हुए जारी किया गया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना मकान बना हुआ है तथा ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए अप्रार्थी संख्या–2 का मकान पंचायत की आबादी

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:36 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में स्थित होने से पट्टा जारी किया गया है। मौके पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या–2 के मकान से दूर स्थित है व प्रश्नगत पट्टे की भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि नही होकर पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है। यह कि ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व प्रश्नगत पट्टे की भूमि का वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवाया गया एवं विधिवत आपत्ति नोटिस जारी कर अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि में कोई अतिक्रमण नही किया गया है एवं न ही अप्रार्थी संख्या–2 का मकान प्रार्थी के खातेदारी भूमि में स्थित है, बल्कि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या–2 का मकान पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा अपने पट्टेशुदा आबादी भूमि में ही निर्माण कार्य किया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–2 को हैरान व परेशान करने की नियत से पट्टा जारी होने के करीब 9 वर्ष बाद गलत व मनगंढत तथ्यों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा अप्रार्थी रोशन खां पुत्र ईस्माईल खां, जाति– मुसलमान, निवासी– अनादरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 1295 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 31 दिनांक 16.6.2008 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा अप्रार्थी रोशन खां के पक्ष में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पट्टा जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को प्रार्थी के खातेदारी की भूमि का अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने के अधिकार संबंधित कानून में प्रदत्त है।'' जबकि अप्रार्थी संख्या–2 का कथन यह है कि ''ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए अप्रार्थी संख्या–2 का मकान पंचायत की आबादी भूमि में स्थित होने से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। मौके पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या–2 के मकान से दूर स्थित है व प्रश्नगत पट्टे की भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि नही होकर पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है।''

प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 04.12.2009 (जो सचिव, ग्राम सभा, अनादरा द्वारा मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान कर तैयार की गई है) के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम अनादरा के अरठ नामे मोटा आंगनावा के खसरा संख्या 671, 672, 673 का सीमाज्ञान मौके पर जरीब चला कर किया गया। उक्त सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 04.12.2009 में यह स्पष्ट रुप से उल्लेख किया हुआ है कि ''रोशन खां पुत्र ईस्माईल घोसी का विवादित मकान एवं अतिक्रमित भूमि रास्ते से पश्चिम दिशा में एवं रास्ते की भूमि भी खातेदारी के अन्दर आती है, जिसका खसरा संख्या 673 है एवं रेशन खा पुत्र ईस्माईल खा का मकान खसरा संख्या 671 के अन्दर बना हुआ है, रोशन खां की विवादित भूमि एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा खसरा संख्या 671 में है जो कि यह भूमि खातेदारी की है।'' पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम अनादरा, पटवार हल्का अनादरा की जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम अनादरा, पटवार हल्का अनादरा के खसरा संख्या 671 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी रुपाराम पुत्र दला जी कलबी व अन्य की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा अप्रार्थी रोशन

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:36 IST
Reason: SelfAttested

खां पुत्र श्री ईस्माल खां, जाति– मुसलमान, निवासी– अनादरा के पक्ष में प्रार्थी रुपाराम चौधरी व अन्य की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 671 की भूमि में पट्टा जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि में पट्टे जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, अनादरा को विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा अप्रार्थी रोशन खां पुत्र ईस्माईल खां, जाति– मुसलमान, निवासी– अनादरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 16.6.2008 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, अनादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 अप्रेल, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:36 IST
Reason: SelfAttested